कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/334/2025, लखनऊ दिनांक–फरवरी 19 .2025

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या 144/2025 दिनांकित 17.02.2025 द्वारा अवगत कराया है कि जनपद वाराणसी में दिनांक 26.02.2025 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भारी भीड़ को देखते हुए वादकारी एवं अधिवक्तागण द्वारा उपस्थित होकर वादों की पैरवी कराने में असमर्थता व्यक्त की गई है। साथ ही पत्र मे यह भी उल्लेख किया गया है कि युगल पीठ में नामित सदस्य, पीठ–4, वाराणसी द्वारा दिनांक 27 व 28.02.2025 के लिए आकस्मिक अवकाश की याचना की गई है।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, वाराणसी के उक्त पत्र के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 112/2025 दिनांक 13.01..2025 द्वारा वाराणसी में दिनांक 24.02.2025 से 28.02.2025 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/–19.02.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ– 1, 2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी
2– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेव अधिकारी मुख्यालय।
3– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/325/2025, लखनऊ दिनांक–फरवरी 19 .2025

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ ने अपने पत्र संख्या 56/2025 दिनांकित 17.02.2025 द्वारा अवगत कराया है कि माह मार्च में दिनांक 03.03.2025 से 07.03.2025 तक जनपद मुरादाबाद में उन्हें युगल पीठ में नामित किया गया है। उन्हें अपनी माताजी को चिकित्सा हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक दिल्ली से परामर्श के लिए जाना है जिसके कारण उक्त गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में असमर्थ हैं।

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अलीगढ के उक्त पत्र के अनुक्रम में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 179/2025 दिनांक 31.01.2025 द्वारा मुरादाबाद में दिनांक 03.03.2025 से 07.03.2025 तक गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19.02.2025

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ– अलीगढ एवं मुराबादाद

2– मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेव अधिकारी मुख्यालय।

3– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।